सतपाल सिंह बनाम यूनियन ऑफ़ इंडिया

समक्ष : एस. एस. सोधी ***जे***

सतपाल सिंह,-याचिकाकर्ता,

बनाम

यूनियन ऑप इंडिया और अन्य,-उत्तरदाता।

1987 की सिविल रिट याचिका *संख्या* 2409।

3 सितंबर, 1990

औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947- धारा 2 (oo.) *(bb.)-संविदात्मक रोजगार-* सेवा अनुबंध का आवधिक नवीनीकरण-*अनुचित श्रम-व्यवहार- इसमें कोई दलील नहीं है कि जिस व्यक्ति को जिस काम के लिए नियुक्त किया गया था वह जारी था या नियमित या स्थायी स्थिति से इनकार करने के लिए बार-बार नियुक्तियाँ की गई थीं. ऐसी याचिका की अनुपस्थिति में में, मामला धारा 2 (oo) (bb) के तहत आता है और समाप्ति को छंटनी नहीं कहा जा सकता।-समाप्ति की वैधता का परीक्षण-समाप्ति की तारीख के समय लागू कानून पर विचार किया जाना चाहिए।*

निर्धारित किया कि, *कर्मचारियों* की सेवा की समाप्ति की वैधता का परीक्षण करने के लिए, जिस कानून पर विचार किया जाना चाहिए और लागू किया जाना चाहिए, वह समाप्ति की तारीख से लागू होता है, न कि उससे पहले की किसी तारीख से। (पैरा 4)

निर्धारित किया कि, जहाँ श्रमिक यह दलील नहीं लेते हैं कि जिस कार्य के लिए वे कार्यरत थे, वह जारी था या उनकी बार-बार नियुक्तियाँ उन्हें नियमित या स्थायी स्थिति से वंचित करने का एक मात्र साधन थी, कोई भी अवसर उत्पन्न नहीं होगा कि बर्खास्तगी अनुचित श्रम व्यवहार के उपाय के रूप में की गई थी।

(पैरा 8)

भारत के संविधान के अनुच्छेद *226/227 के तहत याचिका को स्वीकार करने की प्रार्थना की गई है और प्रार्थना की गई की :*

(i) प्रतिवादी को पूरा रिकॉर्ड प्रस्तुत करने का निर्देश दिया जाये;

(ii) सरशियोरेराई का एक रिट *या कोई अन्य रिट, आदेश या निर्देश जारी किया जाए जो फ़ैसले संलग्नक "P-1" को रद्द करता है और यह अभिनिर्धारित किया जाए कि* धारा *(2) (bb) का संशोधित प्रावधान* अमान्य *है और याचिकाकर्ता की सेवाओं की समाप्ति अमान्य और अवैध है और याचिकाकर्ता को सेवा और पिछले वेतन की निरंतरता के साथ बहाल किया जाये।*

(iii) याचिकाकर्ता को फ़ैसले की प्रमाणित प्रति दाखिल करने से छूट दी जाये;

(iv) कोई कोई भी अन्य राहत, जिसके लिए याचिकाकर्ता कानूनी और न्यायासम्य के अनुसार हकदार हैं, दी जाये।

(v) रिट याचिका दायर करने का हर्जा दिलाया जाये।

श्रीमती सबीना, याचिकाकर्ता *की ओर से अधिवक्ता।*

सतपाल सिंह बनाम यूनियन ऑफ़ इंडिया

आदेश

(1) यह मामला औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 2 (oo) के उप धारा (bb) की प्रयोज्यता से संबंधित है (जिसे इसके बाद 'अधिनियम.' के रूप में संदर्भित किया गया है)

इन रिट याचिकाओ के याचिकाकर्ताओं को, निश्चित अवधि के लिए दैनिक मजदूरी पर नियुक्त किया गया था। 18 अगस्त,[1] 1984 को संशोधन अधिनियम, 1984 द्वारा अधिनियम की धारा 2 (oo) की उप धारा (bb.) को संसोधित किया गया जिससे पहले उन सभी ने एक साल से अधिक की सेवा पूरी कर ली थी।

(2) याचिकाकर्ताओं की नियुक्तियां निश्चित अवधि के लिए हुई थी , जो समय के प्रवाह से समाप्त हो गई थीं श्रम न्यायालय ने माना कि उनकी सेवाओं की समाप्ति अधिनियम की धारा 2 (oo) की उप धारा (bb) के दायरे में आती है और इसलिए यह छंटनी के समान नहीं है और इस प्रकार वे अधिनियम की धारा 25 F के लाभों के हकदार नहीं हैं।

(3) याचिकाकर्ताओं की ओर से यह तर्क देने की मांग की गई थी कि चूंकि उन्होंने अधिनियम की खंड धारा 2 (oo) की उप धारा (bb) के कानून बनने से पहले एक साल की सेवा पूरी कर ली थी, इसलिए याचिकाकर्ताओं ने कहा कि उनके पास एक वर्ष की सेवा पूरी करने की तारीख को मौजूद कानून को लागू करने का एक निहित अधिकार प्राप्त किया और इसलिए, उनकी सेवाओं की समाप्ति उन्हें अधिनियम की खंड 25 F के प्रावधानों के लाभों के योग्य बनाने के लिए छंटनी के बराबर थी। यह वास्तव में एक पूरी तरह से असमर्थनीय तर्क है कि एक कर्मचारी की सेवाओं की समाप्ति की वैधता का परीक्षण करने के लिए, जिस कानून पर विचार किया जाना चाहिए और लागू किया जाना चाहिए वह समाप्ति की तारीख से लागू है न कि उससे पहले की किसी तारीख से।मान लीजिए, उस तारीख को जब याचिकाकर्ताओं की सेवाओं को समाप्त कर दिया गया था, अधिनियम की धारा 2 (oo) का उप धारा (bb.) लागू था और इस प्रकार यहां याचिकाकर्ताओं के मामले में स्पष्ट रूप से लागू होता है।

(4) इस स्थिति को देखते हुए, अधिनियम की धारा 2 (oo) का उप धारा (bb.) की संवैधानिक वैधता पर सवाल उठाते हुए एक तर्क दिया गया। यह अब राज बहादुर बनाम महाप्रबंधक, फूड स्पेशलिटीज *लिमिटेड (1)* मामले *में इस न्यायालय के निर्णय* से सपष्ट कर दिया गया है।

(5) अंत में, प्रतिवादी पर अनुचित श्रम व्यवहार का आरोप इस दलील की तर्ज़ पर लगाया ज़ कि याचिकाकर्ताओं को बार-बार निश्चित अवधि की नियुक्तियां दी गई थीं।इस तर्क के समर्थन में शैलेंद्र *नाथ शुक्ला और अन्य बनाम उपकुलपति,* इलाहाबाद विश्वविद्यालय *और अन्य, (2) को उद्धृत किया गया जहां, यह* अवलोकन किया गया की, यदि किसी नौकरी के विरुद्ध नियमित या स्थायी होने के कर्मचारी के दावे को विफल करने के लिए एक तंत्र के रूप में संविदात्मक नियुक्ति का सहारा लिया जाता है, जो जारी रहती है या कर्तव्यों की प्रकृति ऐसी है कि संविदात्मक नियुक्ति का रंग इसे मुख्य खंड से बाहर करने के लिए दिया जाता है , तो ऐसे समझौते को प्रामाणिकता की निष्पक्षता की कसौटी पर परखा जाना चाहिए" -

इसलिए यह अभिनिर्धारित किया गया कि अधिनियम की धारा 2 (oo) के उपधारा (bb) को ऐसे मामलों में विस्तारित नहीं किया जा सकता है, जहां नौकरी जारी है और कर्मचारी का काम भी संतोषजनक है, लेकिन नियमित स्थिति से बचने के लिए आवधिक नवीनीकरण किया जाता है।

(6) इसके बाद दलीप कनुमंतराव शिर्के *और ओआरएस बनाम ओआरएस, जिला परिषद, यवतमाल और* अन्य (3),का हवाला दिया गया जहां यह अभिनिर्धारित किया गया था कि अधिनियम की धारा 2 (oo) का संशोधित उपधारा (bb) केवल ऐसे मामलों में लागू होगा जहां रोजगार के साथ काम समाप्त हो जाता है या पद स्वयं समाप्त हो जाता है या ऐसे अन्य समान मामले जहां रोजगार का अनुबंध निष्पक्ष, उचित और *प्रामाणिक पाया जाता* है।वहां यह अवलोकन भी किया गया कि मामले की जांच करने और संशोधित प्रावधान के दुरुपयोग से कामगार की रक्षा करने के लिए न्यायालय हमेशा खुला है।

(7) हालाँकि, उद्धृत न्यायिक निर्णय में प्रतिपादित सिद्धांत को लागू करने के लिए कोई मौक़ा प्रदान नहीं किया गया है, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि यह कभी भी याचिकाकर्ताओं का अनुरोध नहीं था कि जिस काम के लिए उन्हें नियुक्त किया गया था वह जारी था या उनकी बार-बार नियुक्तियाँ उन्हें नियमित या स्थायी स्थिति से वंचित करने का एक मात्र साधन थी।

(8) इसलिये रिट कार्यवाही श्रम न्यायालय के निर्णय में किसी भी हस्तक्षेप का आधार नहीं देता है।तदनुसार यह याचिका खारिज की जाती है।हालाँकि, इन परिस्थितियों में, खर्चे के बारे में कोई आदेश नहीं है।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

1992_01_ILR_0104_0107_pdfa_translated_Hindi

सतपाल सिंह *बनाम* यूनियन ऑप इंडिया और अन्य